



AMD Industries Limited

(Mfrs. of : Crown Caps, PET-Preforms & Plastic Closures)

ISO 9001 & FSSC 22000 Company
(CIN : L28122DL1983PLC017141)

Sales & Regd. Office:

18, Pusa Road, 1st Floor, Karol Bagh
New Delhi-110 005 (India)

Ph. : 011-46830202, 28750649 & 50

Facsimile : 011-28753591

e-mail : amdgroup@amdindustries.com

website : www.amdindustries.com

Dated: 04.05.2017

To,
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroje Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001
Tel. No.: 022-2272 1233/34 Extn.: 8465

To,
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Plot No. C-1-G Block
Bandra – Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai-400051

Reference: Code: 532828 and series: EQ

Reference: Symbol: AMDIND and series: EQ

Subject: Newspaper advertisement of Notice to Shareholders for transfer to equity shares to IEPP.

Dear Sir,

Pursuant to the Regulations 30 and Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Section 124 of Companies Act, 2013 read with rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, Please find enclosed newspaper advertisement published in Delhi edition of "Business Standard" (English and Hindi).

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

For AMD Industries Limited

Radha Shakti Garg
Company Secretary

Email : rgarg@amdindustries.com

Mob. No.: 9871137917

सं.	एवं दिनांक	समय (भा.मा.स.)
1	GLK/TE17/027, दिनांक: 25.04.2017	सी एवं एफ एजेंट सहित सेकेन्डरी ट्रांसपोर्ट, पुणे, महाराष्ट्र की नियुक्ति. देय तिथि: 25.05.2017 [15:00 बजे]
2	GLK/TE17/026, दिनांक: 25.04.2017	सी एवं एफ एजेंट सहित सेकेन्डरी ट्रांसपोर्ट, बेंगलूर, कर्णाटक की नियुक्ति. देय तिथि: 25.05.2017 [15:00 बजे]
3	GLK/TE17/028, दिनांक: 25.04.2017	सी एवं एफ एजेंट सहित सेकेन्डरी ट्रांसपोर्ट, धुलागड, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल की नियुक्ति. देय तिथि: 25.05.2017 [15:00 बजे]

अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.balmerlawrie.com देखें।
ऑनलाइन ई-टेंडर <https://balmerlawrie.eproc.in> पर जमा करें। निम्नलिखित निविदा हेतु सभी प्रकार के परिवर्तन, स्पष्टीकरण संशोधन, परिशिष्ट, समय विस्तारण इत्यादि हमारी बामर लॉरी की वेबसाइट (www.balmerlawrie.com) एवं <https://balmerlawrie.eproc.in> पर दी जाएगी। बोलीदाता नियमित अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट देखें।
किसी भी तरह की पूछताछ के लिए कृपया वरिष्ठ प्रबंधक (लौजिस्टिक्स एवं भंडार प्रबंधन) से संपर्क करें।
ई-मेल: naha.ak@balmerlawrie.com पर संपर्क करें।



ए एम डी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 18, पूसा रोड, प्रथम तल, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
फोन-011-46830202, 28750649 फैक्स: 011-28753591
ईमेल: investor@amdindustries.com वेबसाइट-www.amdindustries.com
सीआईएन- L28122DL1983PLC017141

सूचना

विषय: निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में कंपनी के सामान्य शेयरों का अंतरण

धारा 124(6) तथा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, आडिट, अंतरण तथा रिफंड) संशोधन नियमावली, 2017 के साथ पठित नियम 6 के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर जिसके संदर्भ में किसी भी शेयर धारक द्वारा पिछले लगातार सात वर्षों या उससे अधिक लाभांश प्राप्त नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है के कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरित किया जायेगा।
नियमावली; अन्य मामलों के साथ, में प्रावधान है यदि कोई शेयरधारक वा लगातार पिछले सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से लाभांश राशि का कोई दावा नहीं करते हैं तो राशि को आई ई पी एफ तथा उनके द्वारा धारित शेयरों को गठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में अंतरित किया जायेगा।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ऐसे संबंधित शेयर धारकों को जिनके शेयर आई ई पी एफ कोष में अंतरित किया जाना है उनके उपलब्ध पंजीकृत पते पर शेयरों के विवरण, व्यक्तिगत रूप से भेज दिये गये हैं। ऐसे शेयरहोल्डरों की सूची कंपनी की वेबसाइट (www.amdindustries.com) पर भी प्रदर्शित कर दी गई है।

संबंधित शेयरहोल्डरों को निवेदन किया जाता है कि दावा नहीं किये गए लाभांश राशि को 13.05.2017 को या इससे पूर्व दावा कर ले, अन्यथा ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ कोष में अंतरित कर दिया जायेगा।

यदि कंपनी के पास 13 मई, 2017 तक संबंधित शेयर होल्डरों से वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ प्राधिकरण के डीमेट कोष में अंतरित करने के लिए अग्रसर हो जाएगी।

शेयर होल्डर यह ध्यान रखें की दावा रहित लाभांश तथा आई ई पी एफ में अंतरित शेयरों को तथा ऐसे शेयरों पर उपचारित सभी लाभों सहित, यदि कोई है, तो वह प्रस्तावित फार्म आई ई पी एफ -5 ऑनलाइन जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पर अवेदन कर तथा उसकी मूल कॉपी हस्ताक्षर सहित (जैसा की कंपनी के रिकार्ड में नमूने हस्ताक्षर के रूप में है) फार्म आई ई पी एफ-5 में बताये गये अपेक्षित दस्तावेजों के साथ कंपनी को भेज कर फिर से दावा कर सकते हैं।

भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को अंतरित किया जाना है, यह ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार आई ई पी एफ प्राधिकरण की डीमेट खाता में शेयरों के अंतरण के लिए यह कंपनी उनके द्वारा धारित शेयर प्रमाण-पत्रों के बदले में डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करेगी। कृपया ध्यान दे ऐसे डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी, करने के उपरांत, उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे तथा गैर-परकाम्य समझा जायेगा। उन मामलों में, जहां संबंधित शेयरहोल्डरों द्वारा शेयर डीमेट रूप में धारित किये हैं, कंपनी आई ई पी एफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरण के लिए कारपोरेट कार्रवाई द्वारा डिपोजिटरी को सूचित करेगी।

आगे, शेयर धारक यह नोट करे कि दावा नहीं किये गये लाभांश राशि और आई ई पी एफ को अंतरित इक्विटी शेयर के संदर्भ में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

यदि विषय-वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ईकाई : एएमडी इंडस्ट्रीज लि., 4ई/8, प्रथम तल, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110005, फोन: 011-23522373; फैक्स 011-23522373 वेबसाइट bssdelhi@bigshareonline.com से संपर्क कर सकते हैं।

नई दिल्ली
27 अप्रैल, 2017

वास्ते ए एम डी इन्डस्ट्रीज लि.
हस्ता/ राधा शक्ति गर्ग


प्राइवेट लिमिटेड
श्री संजीव एस असोपा (निदेशक एवं गारंटर)
श्री हेमन्त कुमार (निदेशक एवं गारंटर)
₹ 2,87,08,006.25
(दिनांक 30.11.2013 तक) साथ में प्रभावी ब्याज, खर्च और अन्य प्रभार और नोटिस जारी करने के बाद की भुगतान घटा कर

5 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्रफल) जल का अधिकार नहीं तथा सीढ़ियों (स्टेयरकेस) में एक मेजनीन रूप (प्रथम तल और द्वितीय तल के बीच) साइदा सीढ़ियां, रास्ता, प्रवेश, नीचे भूमि में यथानुयात हिस्सा सहित, जो कि नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 में स्थित है, यह सम्पत्ति मैसर्स सनलैंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार है : पूरब - 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम - 100 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर - प्लॉट सं. 44, दक्षिण - प्लॉट सं. 46 + 15 फीट चौड़ी सर्विस रोड।

बोली गुणांक	₹ 50,000.00
सम्पत्ति का निरीक्षण	23.05.2017 (पूर्वा. 1)
ईएमडी सहित बिड ऑन लाईन फार्म जमा करने की तिथि व समय	01.06.2017 (सांय 1)
सम्पत्ति की ई-नीलामी की तिथि व समय	02-06-2017 को पूर्. प्रत्येक 10 मिनट के अंतर

- नियम एवं शर्तें :
- सम्पत्ति, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी।एस।ए. बैंक लि. द्वारा बेची जाएगी।
 - ई-नीलामी दस्तावेज, जिनमें बिड फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, <http://www.bankauctions.com> पर उपरोक्त विवरणानुसार संपर्क करें।
 - बिड फार्म, निर्धारित प्रारूप में 'ऑनलाइन' के माध्यम से <https://www.bankauctions.com> द्वारा जमा किया जाएगा।
 - नीलामी से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु मैसर्स सी।एस।ए. बैंक लि. से उपरोक्त विवरणानुसार संपर्क करें।
 - इच्छुक बोलीदाताओं का एक वैध ई-मेल आई डी होना अनिवार्य है।
 - बिड फार्म, निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज दिल्ली शाखा : 9/दिल्ली-110001 के पास जमा करें। बिड फार्म और ईएमडी (धरोहर राशि) किसी भी वजह से इस अधिकारी को कोई भी ऑफर या सभी ऑफर्स स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी है।
 - ईएमडी / बिक्री मूल्य को ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑवरसीज दिल्ली शाखा : 9/90, प्रथम तल, ब्लॉक-पी, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 आई अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में, डीडी/ पेय ऑर्डर, दिल्ली में देय हो जमा करना होगा।
 - ईएमडी रहित बिड फार्म तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 - ऑनलाइन नीलामी ऊपर दी गई तिथि व समय पर स्वतः प्रारंभ हो जाएगी।
 - नीलामी/बिडिंग केवल <https://www.bankauctions.com> के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिडिंग होगी।
 - सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। सम्पत्ति सर्वोच्च बोलीदाता को बेची जाएगी, उक्त सर्वोच्च बोलीदाता 24 घण्टे के अंदर जमा करनी होगी और उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को खरीद मूल्य की शेष राशि बिक्री की पूर्ण गैर-अवधि के भीतर जमा करनी होगी, जिसकी लिखित रूप में अनुमति दी गई है।
 - निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में जमा राशि और धरोहर राशि और/या प्रारंभिक जमा राशि उ उच्च बोलीदाता / सफल क्रेता का उपरोक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
 - बिक्री मूल्य की राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र (बोली प्रपत्र के अनुसार) जारी किया जाएगा।
 - सम्पत्ति 'जैसी है जहां है तथा जो है जैसा है आधार' पर बेची जा रही है। खरीदार को बोली देने से पहले किसी भी बंधन में स्वयं अपने आप जांच कर लेनी चाहिए।
 - प्रत्याभूत क्रेडिटर्स / बैंक बिक्री को जा रही सम्पत्तियों के संबंध में प्रभार :) व्यवसायिक टैक्स ऑफिसर से प्राप्त नोटिफिकेशन के ऑफिस से - प्रभार वे दावा राशि च. सूच्य, फिर भी इच्छुक बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले स संबंधित अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर या कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
 - सफल क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि जो कि भारत सरकार के प्राण/फैस/लागत देय होगा।
 - बेची गई सम्पत्ति/आस्तिधियों के संबंध में सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं अथवा किसी व्यक्ति को देय या अन्य कोई देय एकमात्र रूप से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
 - ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, समाहित खरीदार को स्वयं/खुद को सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजी लिए, वेबसाइट www.bankauctions.com में ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत है। ऑनलाइन पंजीकरण के होते हैं व्यक्तियों के अलावा अन्य बोलीदाताओं को ई-बोली-प्रक्रिया के लिए उचित प्रारूप में अपलोड करना होगा।
 - बिक्री की पुष्टि एस ए नं. 51 / 2014 के अन्तर्गत संजीव एस असोपा बनाम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले मामले के परिणाम के अनुरूप में होगी।
 - यदि उधारकर्ता पूरी राशि का भुगतान ई-नीलामी की स्वीकृति से पहले जमा कर देता है, तो ई-नीलामी पर कार्रवाई नहीं होगी।
 - यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदार / गारंटर के लिए सरफासी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के अधीन सांविधिक 30 दिन के भीतर बोलीदाता की ओर से किसी चूक/विफलता हेतु न तो यूआईआई और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आवश्यकता के अनुसार बिजली आपूर्ति बैंक-अप जैसी आवश्यक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध कि इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति के निरीक्षण/ई-नीलामी के संबंध में आगे विवरण के लिए संपर्क करें प्राधिकृत अधिकारी शाखा : 9/90, प्रथम तल, ब्लॉक-पी, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 29-04-2017, स्थान : नई दिल्ली



आर्थिक मुद्दों पर आम जनता का दृष्टिकोण से
'व्यापार गोष्ठी' बिज़नेस स्टैंडर्ड में हर

अपनी प्रति के लिए
Call 022 24978470 | SMS reachbts to 56677
e-mail us at: order@bsmail.in



